14.22 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

Title: Need to involve MPs in implementation of Centrally Sponsored Schemes.

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : महोदय, ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व रोजगार योजना, एम्प्लायमेंट एश्योरेंग स्कीम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, शुद्ध पेयजल योजनाओं के लिए 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित की जाती है परन्तु इसके क्रियान्वयन पर केन्द्र सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। जिले के स्तर पर इन योजनाओं की गुणवत्ता वहां के आफिसरों पर निर्भर करती है और ज्यादातर आफिसर इन योजनाओं की गुणवत्ता के बारे में चिन्ता नहीं करते, दी गई धनराशि कागज पर खर्च हो गई और उन्होंने आंकड़े प्रदेश और केन्द्र को भेज दिए। उसके बाद उनका काम पूरा हो जाता है। संसद में यह बात कई बार उठ रही है कि आंकड़े कुछ और दिखाते हैं और जमीन की स्थिति बिलकुल उसके विपरीत होती है। यह एक गंभीर विषय है जिस पर सरकार को विस्तार से विचार करना होगा।

मेरा सुझाव है कि संसद सदस्य इसमें भाग ले, खास तौर से लोक सभा सदस्य जिन्हें जनता को अधिक उत्तर देना पड़ता है। औसतन एक जनपद में एक से दो लोक सभा सदस्य होते हैं। सरकार उनको इन योजनाओं को मानीटर करने का अधिकार दे। यह अधिकार औपचारिक होना चाहिए, क्योंकि जनपद स्तर के अधिकारी राज्य सरकार के आदेश पर काम करते हैं। संसद सदस्यों को नामित योजनाओं के मानिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष होना चाहिए, जो जमीन पर काम का और मोटे तौर पर धनराशि के खर्च का ब्यौरा ले सके और अगर असंतुट हैं तो ग्राम विकास विभाग केन्द्र सरकार को अपनी सीधी रिपोर्ट दे सके। इस पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से बात कर एक दिशा-निर्देश दे और सख्त निर्णय ले। यह कदम योजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाने में प्रभावी होगा और संसद सदस्य बजाय एक असहाय व्यक्ति की तरह संसद में नाराजगी जताने के जमीन पर सक्रिय रूप से जुड़ जाएंगे और स्वयं जिम्मेदारी लेंगे।